



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04112025-267367
CG-DL-E-04112025-267367

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4828]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 3, 2025/कार्तिक 12, 1947

No. 4828]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 3, 2025/KARTIKA 12, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 नवम्बर, 2025

का.आ. 4983(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से, राजस्थान राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-311 के सिंघाना-खेतड़ी नगर-जसरापुर- नागली सलेदी सिंह- केड- छावसरी-तीतनवार खण्ड के किमी 0/00 से किमी 41/00 तक राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण हेतु उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गांवों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है

अनुसूची

राजस्थान राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-311 के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण

क्रमिक संख्या 1	सक्षम प्राधिकारी 2	भूमि का विवरण 3	राज्य 4	जिले का नाम 5	तालुक का नाम 6	गांव का नाम 7	
1	उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH311 के कि.मी 26.5 से कि.मी 41 तक	राजस्थान	झुंझुनू	झुंझुनूं	1	बसन्तपुरा (चाँद की ढाणी)
						2	शिव नागर
						3	चारण सिंह नगर
2	उपखण्ड अधिकारी बुहाना	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH311 के कि.मी 0 से कि.मी 16 तक	राजस्थान	झुंझुनू	बुहाना	1	बनवास
						2	सिंघाना
3	उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी (झुंझुनू)	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH311 के कि.मी 16 से कि.मी 26.5 तक	राजस्थान	नीम का थाना/झुंझुनू	(खेतड़ी)	1	गोठड़ा
						2	खेतड़ी
						3	श्यामपुरा

[फा. सं. RW/JAI/RJ/CE-RO/NH-12012/2024-25/03]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd November, 2025

S.O. 4983(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for Construction of 2-lane paved shoulder/4 lane from km 0/000 to km 41/000 of Singhana-Khetri- Nagar-Jasrapur- Nagli Saledi Singh- Ked- Chhawsari- Titanwar section of NH-311 in the State of Rajasthan.

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. NH311 in the State of RAJASTHAN.

Sl. No. 1	CALA 2	Stretch 3	State 4	District 5	Taluk/Mandal 6	Name of the Village 7
1	Sub Divisional Magistrate Jhunjhunu	NH311 KM 26.5 TO KM 41	RAJASTHAN	Jhunjhunu	Jhunjhunu	1 Basantpura (Chand Ki Dhani) 2 Shiv Nagar 3 Charan Singh Nagar
2	Sub Divisional Magistrate Buhana	NH311 KM 0 TO KM 16	RAJASTHAN	Jhunjhunu	Buhana	1 Banwas 2 Singhana
3	Sub Divisional , Khetri (jhunjhunu)	NH311 KM 16 TO KM 26.5	RAJASTHAN	Neem ka Thana/Jhunjhunu	Khetri	1 Gothra 2 Khetri 3 Shyampura

[F. No. RW/JAI/RJ/CE-RO/NH-12012/2024-25/03]

SHAIKH AMINKHAN, Director